

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद- डेहरी डालमियानगर, बरबीघा।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, साहेबगंज।

पटना, दिनांक- 09/10/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में नागरिक सुविधा मद के अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु कुल ₹409.85300 लाख (चार करोड़ नौ लाख पचासी हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुरूप कुल ₹409.85300 लाख (चार करोड़ नौ लाख पचासी हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०-72 दिनांक-09/10/18 के आलोक में तत्काल ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद, डेहरी डालमियानगर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	67.63000	67.63 000
2	नगर परिषद, बरबीघा	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	67.63000	67.63 000
योग (क)			270.52000	135.26000	135.26 000
3	नगर पंचायत, साहेबगंज	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	69.66650	69.66 650
योग (ख)			139.33300	69.66650	69.66 650
योग (क+ख)			409.85300	204.92650	204.92 650

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
5. (क) आवंटित कुल राशि ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 02 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹135.26000 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
- (ख) उक्त आवंटित राशि ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 03 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹69.66650 लाख (उनहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वय का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
7. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

- (i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जाएगा।
 - (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।
 - (iii) सम्राट अशोक भवन का निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप किया जायेगा। विभाग द्वारा उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के लिए अलग अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्रति विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
 - (iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, विभाग का नाम, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
 - (v) योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
 9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Signature)
08-10-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-03/2015 2) /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-09/10/18
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
08-10-18

सरकार के विशेष सचिव।



बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*** अनौपचारिक
रूप से परामर्शित**

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-09/10/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में नागरिक सुविधा मद के अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु कुल ₹409.85300 लाख (चार करोड़ नौ लाख पचासी हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुरूप कुल ₹409.85300 लाख (चार करोड़ नौ लाख पचासी हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, डिहरी डालमियानगर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	67.63000	67.63000
2	नगर परिषद्, बरबीघा	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	67.63000	67.63000
योग (क)			270.52000	135.26000	135.26000
3	नगर पंचायत, साहेबगंज	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	69.66650	69.66650
योग (ख)			139.33300	69.66650	69.66650
योग (क+ख)			409.85300	204.92650	204.92650

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
5. (क) स्वीकृत कुल राशि ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 02 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹135.26000 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
(ख) उक्त स्वीकृत राशि ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 03 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹69.66650 लाख (उनहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वय का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

७

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-
- योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जाएगा।
 - संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।
 - सम्राट अशोक भवन का निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मॉडल प्राकल्पन के अनुरूप किया जायेगा। विभाग द्वारा उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के लिए अलग अलग मॉडल प्राकल्पन तैयार किया गया है, जिसकी प्रति विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
 - योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राकल्पित राशि, विभाग का नाम, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
 - योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु०-03-03/2015 के पृष्ठ सं०-.....11.6...../टि० पर दिनांक-.....5.10.2018..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....11.6...../टि० पर दिनांक-.....5.10.2018 को प्राप्त है।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा संबंधित नगर पंचायत एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Handwritten Signature)
08.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-03/2015 72 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-09/10/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत/मुख्य अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)
08.10.18

सरकार के विशेष सचिव।